न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 95/2021 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रोहितास पुत्र प्रभू जाति यादव निवासी ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट

बनाम

1 रामप्रताप पुत्र प्रभू जाति यादव निवासी ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:------- असल रेस्पो0

2 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर

3 उप पंजीयक, मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर

:---- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 29.1.2021

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री सुखवीर यादव

निर्णय दिनांक 22.10.2021

---

1 यह अपील तहत अदालत उपखंड अधिकारी, मुण्डावर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 131/2020 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 29.1.2021, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना ने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 328 रकबा 32 एयर, 386 रकबा 33 एयर, 834 रकबा 62 एयर, 835 रकबा 63 एयर, 837 रकबा 63 एयर, 1021/992 रकबा 5 एयर वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर में प्रार्थी एवं अप्रार्थी राह खातेदार हैं । प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 अपने अपने हिस्से पर काविज होकर काश्त करते हैं । उपरोक्त विवादित आराजी का अभी विधिवत तकासमा नहीं हुआ है । विवादित आराजी खसरा नम्बर 834, 837 सडक से लगती हुई है, जिसका गांव के मौजिज व्यक्तियों पंचों द्वारा बाहमी बटवारा करवा दिया है । परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 किसी ना किसी बहाने से प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत करता है । अप्रार्थी संख्या 01 विवादित आराजी का विधिवत बंटवारा कराये बिना ही निर्माण करने की फिराक में है तथा बेचान करने पर आमदा है । अतः उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 22.10.2021 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 01 ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी पक्षकारान की शामलात खाते की आराजी है । शामलात खाते की भूमि पर सभी सह खातेदारों का एक एक इंच पर कब्जा होता है । तहत अदालत में मैंने यह तथ्य प्रकट कर दिया गया था कि पक्षकारान के बीच में दिनांक 15.9.2014 को बाहमी बंटवारा हो चुका है तथा मेरा पूर्व में खसरा नम्बर 837 में बिजली कनेक्शन था, लेकिन पानी की कमी होने के कारण मैं अपने हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 834 में जारी बिजली कनेक्शन को स्थानांतरित करवाना चाहता हूं । उक्त बिजली कनेक्शन स्थानांतरित ना हो, इस मकसद से वादी प्रार्थी ने तहत अदालत से अपने पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा ली । कानूनन किसी खातेदार को बिजली कनेक्शन लेने या उसे स्थानांतरित करवाने से पाबन्द नहीं किया जा सकता । पक्षकारों के मध्य पूर्व में भी तकासमा का वाद चला था । अतः पुनः उसी आराजी को लेकर तकासमा का मौजूदा वाद चलने योग्य नहीं है । मौजूदा वाद पर रेसज्यूडीकेटा लागू होता है, परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया । विवादित भूमि शामलात खाते है । इसलिये कानूनन शामलात खाते की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया है कि विवादित आराजी का पूर्व में कोई विधिवत बटवारा नहीं हुआ था । विवादित आराजी रेकार्ड में शामलात खाते में दर्ज है । अप्रार्थी अपीलांट आये दिन मेरे कब्जे काश्त में मजाहमत करते हैं । आराजी खसरा नम्बर 834 व 837 सडक से लगती हुई है, जिसका गांव के पंचों द्वारा हम पक्षकारान के मध्य वाहगी बटवारा कर दिया गया था । इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 अपीलांट मेरे कब्जे काश्त में मजाहमत करता रहता है तथा बिना बटवारा कराये ही निर्माण करने एवं बेचान करने पर आमदा है । अगर भूमि को किसी पक्षकार द्वारा खुर्द बुर्द करने का अंदेशा हो तो शामलात खाते की भूमि पर भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है । तहत अदालत ने सही तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपीलांट ने दौराने बहस इस तथ्य पर जोर दिया है कि वो अपने बिजली कनेक्शन को स्थानांतरित कराना चाहता है । चूंकि विवादित आराजी शामलात खाते की आराजी है । माननीय राजस्व मण्डल ने अनेकों नजीरों में प्रतिपादित किया है कि जहां पर आराजी का दुर्व्ययन होने का, खुर्द बुर्द करने का तथा आराजी को हानि पहुंचाने का अंदेशा हो, वहां पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर देनी चाहिये । इस प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में हम तहत अदालत के निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पहुंचाते हैं । परन्तु चूंकि अपीलांट अपने बिजली कनेक्शन को स्थानांतरित कराना चाहता है । यह उसका सुखाधिकार है । इसलिये अपीलांट को बिजली कनेक्शन स्थानांतरित कराने हेतु स्वतंत्र किया जाना हम विधिसम्मत समझते हैं ।

6 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश दिये जाते हैं कि अपीलांट अपने बिजली कनेक्शन, जो कि आराजी खसरा नम्बर 837 वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर में स्थित है, को आराजी खसरा नम्बर 834 वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर में स्थानातांतरित कराने हेतु स्वतंत्र है । तहत अदालत का शेष निर्णय यथावत रखा जाता है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार साखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर